प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायालय, गाजियाबाद।

विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त परिपत्र सं 14/प्रशासन–डी दिनॉकिंत 15.10.2022 के अनुसार सेवनिवृत्त कर्मचारीगण जिनकी आयु 65 वर्ष पूर्ण न हुई हो, उनकी रिक्त पदो के सापेक्ष पुर्ननियुक्ति की जानी है। जिस हेतु सेवानिवृत्त तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी तथा आशुलिपिक से आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जातें है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा एक वर्ष की अवधि के लिये (यदि पूर्व में ही समाप्त न कर दी जाये अथवा सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती न हो जाये) तक के लिये की जायेगी।

जिन कर्मचारीगण का कार्यकाल दिनांक 31.07.2026 तक पूर्ण होने वाला है। वे कर्मचारी भी आवेदन कर सकतें है।

आवेदक को मिलने वाले अन्तिम आहरित वेतन जिसमें से पेंशन की राशि घटाकर मानदेय के रूप में देय होगी।

आवेदक अपना आवेदन पत्र दिनाँक 25.07.2026 की सॉय 04.30 बजे प्रशासनिक कार्यालय में प्राप्त् करा सकतें है इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन –पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

सूचना जनपद न्यायालयों से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण के मध्य परिचालित करायी जाये। सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाये। कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, गाजियाबाद व माननीय उच्च न्यायालय की अधिकारिक बेवसाइट पर भी अपलोड कराये।

जिला सूचना अधिकारी, गाजियाबाद को निःशुल्क समाचार पत्रो में प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति की प्रति प्रेषित की जावे।

—SD—

अध्यक्ष,
पुनर्नियुक्ति (सेवानिवृत्त कर्मचारी) समिति/
विशेष न्यायाधीश (एस.सी/एस.टी.) एक्ट,
गाजियाबाद

आवेदन पत्र का प्रारूप

नाम:– ....

फोटो चस्पा करें

पिता का नाम:– ....

माता का नाम:–..

जन्मतिथि:–..

फोटोयुक्त पहचान पत्र(पहचान पत्र/आधार कार्ड व अन्य वैध पहचान पत्र)..............................

सेवानिवृत्त होने की तिथि:–...

पदनाम जिससे सेवानिवृत्त हुआ है तथा स्थान.................

अस्थायी पता:–..

स्थायी पता:–..

मोबाईल नं0:–..

ई0 मेल:–..

नोट:– पेंशन आदेश की प्रति इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

घोषणा–पत्र

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी...यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उक्त अंकित एवं संलग्न समस्त सूचनाएं मेरे/मेरी निजी जानकारी में सही/सत्य है। मेरे द्वारा कोई भी जानकारी/तथ्य छुपाया नहीं गया है/गयी है और न ही मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लम्बित चल रहा है। यदि भविष्य में विभाग के संज्ञान में कोई प्रतिकूल जानकारी/तथ्य आता है तो विभाग द्वारा मेरा अभ्यर्थन निरस्त करते हुए, जो भी कार्यवाही की जायेगी वह मुझे सर्वमान्य होगा/होगी।

दिनांक:–....................................

स्थान:–....................................

कर्मचारी के हस्ताक्षर